

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं० B.S.T 59 बस्ती, वर्ष 46 अंक 259 शुक्रवार 18 अप्रैल 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या-फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ 4:मूल्य-3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

नाबालिग को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। रूखी थाने की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को हथौड़ा-धुसलाकर भगाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी की पहचान संतकबीरनगर जिले के खेसहरा थाना क्षेत्र के कड़जा निवासी रफीक (22) के रूप में हुई है। रूखी पुलिस ने उसे तहसील रोड स्थित सरयू नहर के पास नगर पंचायत शौचालय को गिरफ्तार किया।
प्रमारी निरीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी के निवास घरा 137(2), 87, 64 ठाउँ और पोंक्स एक्ट की धारा 59के के तहत मामला दर्ज किया है। विधिक कार्यवाही के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

पीडिता को सक्षम बरामद कर लिया गया है। उसे चालूवल वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश किया गया है। साथ ही डॉक्टर परीक्षा और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं की जा रही हैं।
गिरफ्तारी ने उपसर्ग जवा प्रकाश मिश्रा, एसआई अमोल कुमार, हेड कार्टेबल संतोष यादव, कार्टेबल नंदेश्वर और महिला कार्टेबल गुंजन यादव की टीम शामिल रही।

घायल की मौत के बाद तीन आरोपी गिरफ्तार



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। दुधनी बस्ती पुलिस ने गैर इवादन हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रिश्वत सोनकर, अविनाश उर्फ कल्लू और जवाहिर गुप्ता शामिल हैं। तीनों आरोपी नरहरिया, गुप्ता पुरानी बस्ती के निवासी हैं।

मामला 5 अप्रैल 2025 का है। उमाशंकर प्रजापति की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया था। ग्राम नरहरिया में हुई मारपीट में जगरनन प्रजापति को गंभीर चोट आई थी। उन्हें वीरारथी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में भर्ती कराया गया। 15 अप्रैल को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने 17 अप्रैल को दोषधर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष महेश सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक महेंद्र कुमार, हेड कार्टेबल रामपुरेश यादव, कार्टेबल विशाल मिश्रा और सचिव कुमार की टीम शामिल रही।

आधी, आभास के संकेत लखनऊ (आभास)। प्रदेश में एक बार फिर मौसम कटाव लेला। कई जिलों में आधी रेखाएं देखने को मिलेगी। तीन दिनों के बाद बारिश की संभावना जताई गई है। पांच जिलों में ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जलपूर, प्रतापगढ़, अमेठी, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकरनगर, अयोध्या, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, गीता, वाराणसी में 40 से 60 मिलीमीटर की रेखाएं से आधी बरसे की संभावना है। पांच जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है।

वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया अंतरिम आदेश, अगले आदेश तक बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति

नई दिल्ली (आभास)। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को बृहस्पतिवार को सात दिन का समय दिया। न्यायालय ने साफ ही यह भी कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर् जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्राथमिक जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें यत दिया।

न्यायालय ने कहा कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव, केवल पांच पर ही सुनवाई होगी।

याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के दूसरे दिन प्रमुख न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि विधि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को नहीं छड़ा जा



सकता। वहीं, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह अगली सुनवाई तक 'वक्फ बाय डीड' और 'वक्फ बाय यूजर' को गैर-अधिसूचित नहीं करेगा।

सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख तय की। केंद्र ने हाल ही में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया था, जिसे दोनो सदनों में तीनों बहस के बाद संसद में पारित होने के पश्चात पांच अप्रैल को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई।

केंद्र ने आठ अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में एक 'केसिएट' दायर कर मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की अपील की थी। किसी पक्ष द्वारा उच्च

न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में यह सुनिश्चित करने के लिए 'केसिएट' दायर की जाती है कि उसका पक्ष सुनो बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।

जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिलने पर भड़के उपराष्ट्रपति नई दिल्ली (आभास)।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास से बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी से जुड़े मामले में एकआईआर दर्ज न किए जाने पर गुरुवार को सवाल उठाया और भड़कते हुए कहा कि क्या कानून से परे एक श्रेणी को अभियोजन से छूट हासिल है।

धनखड़ ने कहा, अगर यह घटना उसके (आभास) को घर पर हुई होती, तो इसकी (प्राथमिकी) दर्ज किए जाने की गति इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सरीखी होती, लेकिन उक्त मामले में यह बेलगामी जैसी भी नहीं है। धनखड़ ने कहा कि सात दिनों तक किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे। क्या देशी की वजह समझ में आती है? क्या यह माफ़ी योग्य है?

राज्य पंचायत परिषद की प्रदेश, जिला कार्यकारिणी भंग

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। इसी के साथ सभी जिलों की इकाइयां भी तत्काल प्रभाव से भंग हो गई हैं। उक्त जानकारी देते हुए यू पी राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राना दिनेश प्रताप सिंह बताया कि शीघ्र नए सिस्ते से प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिले की इकाइयों को गठित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत एवं नगर निकायों के ऊर्जावान जन प्रतिनिधियों को राज्य पंचायत परिषद से जोड़ा जाएगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार से पुरस्कृत पूर्व एवं वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री राना ने कहा है कि राज्य पंचायत परिषद को मजबूत कर प्रदेश स्तर पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जिसमें पंचायतों एवं नगर निकायों को अधिकार सम्पन्न तथा



जवाबदेह बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित पंचायतीश्वर मंत्री व उच्चाधिकारियों से वार्ता की जाएगी। 73 वें और 74 वें संवत्सरी संशोधन को लागू करने के संदर्भ में भारत सरकार से भी संवाद स्थापित किया जाएगा। श्री राना ने कहा है कि विकसित पंचायत संकल्प को पूरा करने के लिए पंचायत एवं नगर निकायों को मजबूत तथा समृद्ध करना आवश्यक है।



बस्तीन बने और सोलर पैनल आदि सुविधाओं की सराहना किया।
ग्राम प्रधान रामजनन, ग्राम विकास अधिकारी, गौशाला ग्राम अनुरोध कुमार श्रीवास्तव ने डीएम को गौशाला के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त किया। निरीक्षण के दौरान रामसजजन, डा. राजेश कुमार, नुरुलहुदा, डा. विजय कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद उपाध्याय, प्रदीप शुक्ल, इन्द्रजीत के साथ ही स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

बीईओ अशोक कुमार के विरुद्ध शिक्षक लामबंद कार्यवाही की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष चांदिका सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री और मानविक शिक्षक शिक्षा को संवाधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों ने रूखी और सटौती के खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार के विरुद्ध 19 बिन्दुओं के शिकायती पत्र व साक्ष्य को प्रस्तुत कर शिक्षक व विभागीय कार्यवाही की मांग किया।

ज्ञापन देने के बाद जिलाध्यक्ष चांदिका सिंह ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी रूखी व सटौती का अतिरिक्त प्रभार देखने वाले खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर सरकारी भवन गिराने, बच्चों के कार्यक्रम में जलपात्र व बैठक व्यवस्था न करने, सरकारी भवन में बिना से टेढ़, कुर्सी, साउंड हेतु आए धन का गबन कर कार्यक्रम को ब्लॉक समगार में कराने, एमडीएम में भेजे गए बर्तन हेतु धन में हिसाब नमाने, सर्विस बुक पूर्ण न करने, वचन वेतनमान समय से न लगाने, मासिक भत्तों में शिक्षकों के लिए आए जलपात्र के धनराशि का गबन करने सहित 19 बिन्दुओं पर कोटि सहित साक्ष्य भेजा गया है।



जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा ने कहा कि पूर्व में सहायक शिक्षा निदेशक (सिईक) बस्ती मंडल तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भी पत्र देकर कार्यवाही की गयी गई थी। जिस पर सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा सुनवाई में विधेयक के पक्ष में 128 और विधेयक में 95 सदस्यों ने मत दिया। वहीं, लोकसभा में इसके पक्ष में 288 तथा विधेयक में 232 वोट पड़े। इस तरह यह दोनों सदनों ने पारित हो गया था। एसआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवेसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), जमीयत उलमा-ए-हिंद, ब्रिडिज मुनेत्र कश्गम (द्रमुक), कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद की याचिकाओं सहित 72 याचिकाएं अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई हैं।

छात्रों को घर लेकर जा रही स्कूली वैन गड्डे में पलटी 11 बच्चे घायल, दो गंभीर

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। पैकोलिया थानाक्षेत्र के बमाना गौर मार्ग पर स्थित बीएसए पब्लिक स्कूल बमाना से बच्चों को घर ले जा रही स्कूली वैन का पहिया निकलने से हादसा हो गया। वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्डे में पलट गई। वैन के चारो पहिए ऊपर हो गए। वैन में सवार बच्चे बीखने-बिल्लाने लगे। बीखने-बिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटे। वैन को शीशा तोड़कर बच्चों को निकाला गया। 108 पहुलेसे से घायलों को सीएससी गौर पहुंचाया गया। यहां पर बच्चों का इलाज उपचार हुआ। दो बच्चों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पैकोलिया पुलिस ने वैन को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दिया।



का प्राथमिक उपचार किया। गौर थानाक्षेत्र के जयपुर निवासी विनोद सिंह के पुत्र विद्यान सिंह कक्षा तिन व पुत्री अनन्या सिंह कक्षा एक के सिर में गंभीर चोट दो देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉ. प्रदीप पटेल ने बताया कि अन्य बच्चों को हल्की चोट आई है। बच्चे हादसे से घबरा गए हैं। दो बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

बीवीएस पब्लिक स्कूल बमाना में कक्षा छह में पढ़ने वाले वैन में कक्षा तीन के विद्यान, कक्षा एक की अनन्या, छह के रिश्वत, 10 की अस्सरा अजुम, तीन की राधिका सिंह, आरबी, यूकेजी की रितिका, पांच की आधा, दो के आर्य, तीन के आरुष व यूजी की अरुषा सुनील जी। प्रमारी निरीक्षक पैकोलिया, धर्मन कुमार यादव ने कहा कि स्कूली बस को कब्जे में ले लिया गया है। घटना के विभिन्न पहलुओं का जांच पड़ताल की जा रही है। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। बच्चों को दूसरी गाड़ी से उनको घर पहुंचा दिया गया है। दो बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

स्कूली बस के पलटने की वजहों के बीखने-बिल्लाने की आवाज सुनकर रामपुर व कोटवा गांव के लोग भाग में संख्या में पहुंच गए। कोटवा निवासी हिमेश सिंह ने बताया कि बच्चे बीख रहे थे। अंजल मेरे भाई को तो कोई

देह व्यापार का खुलासा: महिला समेत 6 गिरफ्तार

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास स्थित एक दो मंजिला मकान में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार की सुबहान पर क्षेत्रधिकारी सर्वेन्द्र भूषण तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। छापेमारी में कमरे के अंदर से 5 पुरुष और एक महिला को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। पृष्ठपात्र में मकान मालिक शिवमुरी चौधरी (56) और उसका साझेदार अजयुज पटेल (24) ने अपना



जुर्म कबूल किया। दोनों ने बताया कि वे महिलाओं को आगे हाथकों के बुलाकर देह व्यापार करवाते थे। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में राजू यादव (22), रामचरण (48), हिमेश

सहारा के सम्पत्तियों की जती मोर्चा की बड़ी जीत निवेशकों का भुगतान कराये सरकार- अभयदेव शुक्ल

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। ऑल इंडिया जन आन्दोलन संघ न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल ने ईडी द्वारा सहारा इंडिया के मुम्बई स्थित एम.बी. बैली में लगभग 1460 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जप कर लिये जाने पर प्रस्नना व्यक्त करते हुये कहा है कि सरकार इस सम्पत्ति की मालीनी कर सहारा के निवेशकों को भुगतान सुनिश्चित करे।



प्रेस को जारी विज्ञापन के माध्यम से ऑल इंडिया जन आन्दोलन संघ न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल ने बताया कि मोर्चा द्वारा पिछले 5 वर्षों से निरन्तर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक संचर्च किया जा रहा है। सहारा के लगभग 13 करोड़ निवेशकों का लगभग ढाई लाख करोड़

माह से इनको दिए हुए हैं। जिस पलटने दे वारों में मुख्य रूप से जिला उपन्याय रीक्ष मिश्र, सुप्रीम तिवारी, शिवकाश सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, मूल सिंह, जिला संपादन मंत्री विवेक कांत, अविनाश दुवे, राम भवन यादव, विवेक प्रताप सिंह, प्रताप नारायण चौधरी, उमाशंकर पाण्डेय, राकेश पाण्डेय, प्रभाकर पटेल, अविनाश दुवे, गिरधर सिंह, मोहम्मद असलम, सोहनलाल, दीपवर्ध, नितिन कुमार, धर्मराज यादव, गोविंद, धर्मेश, रत्नेश्वर नारायण, राजेश सिंह, सुन्दर यादव, अरुण श्रीवास्तव, राजेश गिरी, रजनीश, मनीष मिश्र, चंदन श्रीवास्तव, रेहना परवीन, रीना कर्नौजिया, अनिल पाण्डेय, संतोष पाण्डेय, हरेश यादव, अखिलेश पाण्डेय, सनम पटेल, विजय यादव, अशोक यादव, सुरेश गौड़, आदि उपस्थित रहे।

निःशुल्क शिविर में 50 अधिवक्ताओं का नेत्र परीक्षण 25 को मिलेगा चश्मा, 10 का होगा आपरेशन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। गुरुवार को शांतिष्वा हास्पिटल और भारत आई हास्पिटल द्वारा संयुक्त रूप से स्थित कोर्ट में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ अधिकांश निरीक्षण प्रसाद शुक्ल की स्मृति में आयोजित शिविर में वरिष्ठ नेत्र सर्जन डा. अहमद अली ने 50 अधिवक्ताओं का परीक्षण कर उनका उपचार किया। शिविर में 25 अधिवक्ताओं में निःशुल्क चश्मे का वितरण करने के निःशुल्क 10 का निःशुल्क आपरेशन कराया जायेगा। शिविल बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित निःशुल्क चश्मा प्रदान सिंह, महामंत्री माधुकु अजय प्रताप सिंह, महामंत्री मरुत कुमार शुक्ल ने इस पहल की सराहना किया।



यह जानकारी देते हुये नेत्र शिविर के आयोजक अपूर्व शुक्ल ने बताया कि शांतिष्वा हास्पिटल द्वारा समय-समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर के साथ ही आई.पी.एफ. हेतु शिविर लगाये जाते हैं। नेत्र शिविर के संयोजन में टेकिनाशियन विनय

कुमार, हीसल पासवान, शैलेन्द्र पाठक, हेमन्त पाण्डेय, राहुल श्रीवास्तव, राजेश चित्रगुप्त, राजन गुप्ता, आशीष श्रीवास्तव, सत्योष कुमार श्रीवास्तव, प्रकाश मोहन आदि ने योगदान दिया।

सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट से अच्छा बनाएं, डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते मिले तो होगी एफआईआर—डिप्टी सीएम



संवाददाता—गोरखपुर। डिप्टी सीएम को बताया गया कि सीएचसी 11 बजे खुलती है और 2 बजे ओपीडी के बाद बंद हो जाती है, जिस पर उन्होंने सीएमओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों को पूरी समय उपलब्ध रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करके साथ ही सीएचसी को अच्छे निरीक्षण की चेतावनी देते हुए कहा कि हम बिना बताए फिर आएंगे।

खजनी क्षेत्र के गाजर वंशम गांव में बहुवर्षीयवाक को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक मंगलिक आरोपजन में समिलित होने पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह 11 बजे गांव में बने हेलीपैड पर राजकीय हेलीकॉप्टर

बातचीत के दौरान उन्होंने सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध इलाज की सुविधाओं की समीक्षा की गई है। अस्पतालों में संस्मान उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधि यों व ग्रामपंचायतों से संपर्क करें और हर 15 दिनों बैठक करें। ग्रामपंचायतों के घर जाएं उन्हें जनता को ज्यादा से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए भेजने के लिए प्रेरित करें। प्रसाद सेवा और टीकाकरण सिर्फ सरकारी अस्पतालों में कराने की व्यवस्था करें। चिकित्सा अधीक्षक और सीएमओ डॉ.राजेश कुमार आ से कहा कि यदि कोई सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते मिलें तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएँ।

एक प्रश्न के बाद उन्होंने अधिकारी बंद चल रहे उसवां बाबू गांव की सरकारी सीएचसी को बालू कराने और इमरजेंसी सेवाओं को शुरू कराने का निर्देश दिया। कहा कि सभी सीएचसी में 24 घंटे

इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराएं। हरनही सीएचसी में कर्मचारियों के अभाव निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नमी का मौसम आ गया है। सभी अस्पतालों में स्क्व पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए तथा इलाज के लिए आने वाले मरीजों और तीमारदारों से नमी से पेय आए। उनके बैठने और सोनेबैठे डॉक्टर के पास पहुंचवाने के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारी दें।

सीएचसी में पहुंचते ही उन्होंने सभी ओपीडी की बंघुचकर वहां मौजूद डॉक्टर से मरीजों और उनके इलाज के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान मौजूद मरीजों से उनके इलाज तथा अस्पतालों में दवाई मिलती है या नहीं तथा उपलब्ध सेवाओं की जानकारी ली।

डिप्टी सीएम को बताया गया कि सीएचसी 11 बजे खुलती है और 2 बजे ओपीडी के बाद बंद हो जाती है, जिस पर उन्होंने सीएमओ को बालू कराने लगाते हुए कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों को पूरे समय उपलब्ध रहने की व्यवस्था सुनिश्चित

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में महिलाओं को किया जागरूक
संवाददाता—गोरखपुर।
माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क की ओर से अडिलापापर गांव में वित्तीय जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला अधिकारी बैंक प्रबंधक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बचत और निवेश, बचत योजनाओं और निवेश विकल्पों को बढ़ावा देने में जानकारी जरूरी है।

नाबाई की जिला विकास अधिकारी दीपति पंत ने भी माइक्रो फाइनेंस के अधिकारी विजय शर्मा को कहा कि ग्राहक शिकायत निवारण पर शिकायत दर्ज हो सकती है। इस दौरान अजय तिवारी, वैशेष तिवारी के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही।

आदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान मोहर दुर्घटनादावा अधिकरण महोदय बस्ती प्रतिकर वाद सं०—81 / 2022

गणेश बनम मोहित आदि
1. मोहित पुत्र संतोष गुप्ता निवासी पसमोहनी पोस्ट कछिया जमपद बस्ती पिनकोड नम्बर—272163 (वाहत स्वामी मोहर साइकिल नम्बर यूूपी051 / 400ए—2421)
2. मनीष कुमार गुप्ता पुत्र संतोष गुप्ता निवासी पसमोहनी पोस्ट कछिया जमपद बस्ती पिनकोड नम्बर—272163 (वाहत स्वामी मोहर साइकिल नम्बर यूूपी051 / 400ए—2421)
3. टाटा एंफोर्सेडोप्रीजोडकोफो, रजन स्वयंवर 20 ए, विमानसमा भवन लखनऊ पिनकोड—226001 (3030) वर्मान पता गुटिन नम्बर 309 तृतीय तल सिरिलर हाईस्ट किमुल्टि स्वयंवर गोमती नगर लखनऊ पिनकोड—2260110 (3030)

आदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान अमर उप जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय बस्ती जिला—बस्ती वाद सं०—
रामसंवार बनम जय प्रकाश आदि
1. जय प्रकाश पुत्र रामलाल 2. रामलाल पुत्र उत्तर 3. जोषू पुत्र सुंदर निवासीगण ग्राम खडहरिया गंगाराम तथा पुरैना परगना अमोडा तहसील हरिया जिला—बस्ती 4. ग्राम पंचायत महीना बाबू द्वारा प्रमाण ग्राम खडहरिया गंगाराम तथा पुरैना परगना अमोडा तहसील हरिया जिला—बस्ती 5. सरकार उडको जखिये जिलाधिकारी महोदय बस्ती

तारीख पेशी 02—05—2025
हराहा नै आपकें नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपकें 23 माह 04 सन 2025 ई० बवकल 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हावत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ख हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दायी कीजिये और हराहा वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदर है वास्ते इन्फिसाल कतर्दी मुकदमा के तजवीबी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमना दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें। आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बेर हजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बस्खल मेर दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
—द० हाकिम

आदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान मोहर दुर्घटनादावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला—बस्ती वाद सं०—86 / 2022

हनुमान बनम दिलीप
1. दिलीप पुत्र लाल निवासी ग्राम माथिया पुत्र—मदावल जिला—बस्ती पिनकोड सं०—272165 (वाहन स्वामी डॉक्टर नम्बर यूूपी05—51 ए०ए०ए० 4899) 2. अर्जुन कुमार सिंह पुत्र रसिग निवासी ग्राम मोथिया गाँव—मदावल जिला—बस्ती पिनकोड सं०—272165 (वाहन चालक ड्राइवर नम्बर यूूपी05—51 ए०ए०ए० 4899)

तारीख पेशी 19—04—2025
हराहा नै आपकें नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपकें 19 माह 04 सन 2025 ई० बवकल 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हावत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ख हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दायी कीजिये और हराहा वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदर है वास्ते इन्फिसाल कतर्दी मुकदमा के तजवीबी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमना दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें। आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बेर हजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बस्खल मेर दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
—द० हाकिम

आदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान मोहर दुर्घटनादावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला—बस्ती वाद सं०—450 / 2016

रामचन्द्र (युक्त) आदि बनम
1. शिव कुमार 2. राज कुमार 3. प्रेम कुमार पुत्रगण मोहनलाल साकिनना मौजा सोनीपुर बेरता तथा सिक्करपुर परगना अमोडा तहसील हरिया जिला बस्ती
तारीख पेशी 20—05—2025
हराहा नै आपकें नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपकें 25 माह 04 सन 2025 ई० बवकल 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हावत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ख हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दायी कीजिये और हराहा वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदर है वास्ते इन्फिसाल कतर्दी मुकदमा के तजवीबी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमना दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें। आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बेर हजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बस्खल मेर दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
—द० हाकिम

आदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान मोहर दुर्घटनादावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला—बस्ती वाद सं०—450 / 2016

रामचन्द्र (युक्त) आदि बनम
1. शिव कुमार 2. राज कुमार 3. प्रेम कुमार पुत्रगण मोहनलाल साकिनना मौजा सोनीपुर बेरता तथा सिक्करपुर परगना अमोडा तहसील हरिया जिला बस्ती
तारीख पेशी 20—05—2025
हराहा नै आपकें नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपकें 25 माह 04 सन 2025 ई० बवकल 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हावत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ख हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दायी कीजिये और हराहा वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदर है वास्ते इन्फिसाल कतर्दी मुकदमा के तजवीबी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमना दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें। आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बेर हजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

एम्स में बना है 44 करोड़ से 500 की क्षमता का रैन बसेरा, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन



संवाददाता—गोरखपुर। अखिल भारतीय अयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर में बने हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रैन बसेरा का निलयास्थ मुकामजी योगी आदित्यनाथ करेंगे। यहां पारसीजड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीजन्य से 44 करोड़ रुपये की लागत से 500 लोगों की बसना का रैन बसेरा बना। 18 अप्रैल को भूमि पूजन कर सीएम योगी इसके निर्माण का शुभारंभ करेंगे। गोरखपुर शहर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों और सीमावर्ती विहार तथा पड़ोसी मित्र राज्य नेपाल के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कारोबार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रतिदिन यहां बड़ी लादा में ऐसे लोग आते हैं जिनमें किन्हीं जरूरी कारणों से रात्रि प्रवास

सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर रहा है। इसके लिए समय-समय पर वह शुभ कई रैन सेंटों का निर्देशांक वर व्यवस्था का उपयोग भी लेते हैं।

सर्वप्रथम समय में नगरपालिका के 18 रैन बसेरों संवालिह है जिनकी कुल क्षमता 667 लोगों की है। इनमें से 13 का संवालिह नगर निगम और एक का संवालिह एमएसडी अस्पट्रीट द्वारा किया जा रहा। अब एमएस गोरखपुर में वावरिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग की सीएमआर निधि से 500 लोगों की क्षमता का रैन बसेरा बनने जा रहा है। अब न केवल गोरखपुर का बलिक पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रैन बसेरा होगा। इसके निर्माण पर 44 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका शिलान्यास 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों प्रस्तावित है। एमएस गोरखपुर की गवर्नर कांजलि के चेयरमैन रेड दीपक वर्मा के मुताबिक एम्स में आने वाले मरीजों और तीमारदारों की सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही पूर्व में रैन बसेरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे।

आदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान मोहर दुर्घटनादावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला—बस्ती वाद सं०—66 / 2022

हनुमान बनम दिलीप
1. दिलीप पुत्र लाल निवासी ग्राम माथिया पुत्र—मदावल जिला—बस्ती पिनकोड सं०—272165 (वाहन स्वामी डॉक्टर नम्बर यूूपी05—51 ए०ए०ए० 4899) 2. अर्जुन कुमार सिंह पुत्र रसिग निवासी ग्राम मोथिया गाँव—मदावल जिला—बस्ती पिनकोड सं०—272165 (वाहन चालक ड्राइवर नम्बर यूूपी05—51 ए०ए०ए० 4899)

तारीख पेशी 19—04—2025
हराहा नै आपकें नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपकें 19 माह 04 सन 2025 ई० बवकल 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हावत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ख हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दायी कीजिये और हराहा वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदर है वास्ते इन्फिसाल कतर्दी मुकदमा के तजवीबी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमना दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें। आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बेर हजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बस्खल मेर दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
—द० हाकिम

आदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान मोहर दुर्घटनादावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला—बस्ती वाद सं०—66 / 2022

हनुमान बनम दिलीप
1. दिलीप पुत्र लाल निवासी ग्राम माथिया पुत्र—मदावल जिला—बस्ती पिनकोड सं०—272165 (वाहन स्वामी डॉक्टर नम्बर यूूपी05—51 ए०ए०ए० 4899) 2. अर्जुन कुमार सिंह पुत्र रसिग निवासी ग्राम मोथिया गाँव—मदावल जिला—बस्ती पिनकोड सं०—272165 (वाहन चालक ड्राइवर नम्बर यूूपी05—51 ए०ए०ए० 4899)

तारीख पेशी 19—04—2025
हराहा नै आपकें नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपकें 19 माह 04 सन 2025 ई० बवकल 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हावत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ख हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दायी कीजिये और हराहा वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदर है वास्ते इन्फिसाल कतर्दी मुकदमा के तजवीबी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमना दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें। आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बेर हजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बस्खल मेर दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
—द० हाकिम

आदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान मोहर दुर्घटनादावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला—बस्ती वाद सं०—121 / 2024

चंचल बनम उमाजीत आदि
1. उमाजीत पुत्र पतिलाम ग्राम बरछीपुर पोस्ट बेलवा थाना छावनी तहसील हरिया जिला—बस्ती (वाकल मोहर साइकिल वाहन सं०—UP51 AA 9048) 2. पतिलाम पुत्र चैतू ग्राम बरछीपुर पोस्ट बेलवा थाना छावनी तहसील हरिया जिला—बस्ती (वाहन स्वामी मोहर साइकिल वाहन सं०—UP51 AA 9048)

तारीख पेशी 31—05—2025
हराहा नै आपकें नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपकें 31 माह 05 सन 2025 ई० बवकल 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हावत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ख हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दायी कीजिये और हराहा वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदर है वास्ते इन्फिसाल कतर्दी मुकदमा के तजवीबी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमना दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें। आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बेर हजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बस्खल मेर दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
—द० हाकिम

आदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान मोहर दुर्घटनादावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला—बस्ती वाद सं०—229 / 2022

कुं अनु मिश्रा बनम
1. अनुबुद्ध प्रसाद सरोज पुत्र सुचो शम्भू प्रसाद संतोष निवासी ग्राम भगवानपुर धाना वारीबारी जिला—गोरखपुर हालत मुकाम थाना परसरामपुर पोस्ट परसरामपुर जिला—बस्ती उडको (पंजीकृत वाहन सं०—UP51 AA 9048) 2. अनुबुद्ध प्रसाद सरोज पुत्र सुचो शम्भू प्रसाद संतोष निवासी ग्राम भगवानपुर धाना वारीबारी जिला—गोरखपुर हालत मुकाम थाना परसरामपुर पोस्ट परसरामपुर जिला—बस्ती उडको (पंजीकृत वाहन सं०—UP51 AA 9048)

तारीख पेशी 25—04—2025
हराहा नै आपकें नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपकें 25 माह 04 सन 2025 ई० बवकल 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हावत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ख हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दायी कीजिये और हराहा वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदर है वास्ते इन्फिसाल कतर्दी मुकदमा के तजवीबी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमना दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें। आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बेर हजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बस्खल मेर दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
—द० हाकिम

गोर्गो नदी में उतराता मिला युवक का शव

संवाददाता—गोरखपुर। झंगहा थानाक्षेत्र के जंगल गौरी नगर के अकरवाली टीला के बगल में बह रही गोर्गो नदी में गुरुवार की सुबह करीब 30 वर्षीय उखलत युवक का शव उतराता हुआ दिखाई दिया। युवक के पास से खून निकल रहा था और चेहरा सूखा हुआ था। ऐसे में आशंका है कि युवक की हत्या कर उसे नदी में फेंक दिया है। ग्रामीणों ने डायल 112 पर सूचना दी है।

सूचना
सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी महाराज पुत्र बलिकनर ग्राम—जनपदरामपुर पोस्ट व थाना—लागजग जमपद बस्ती (उ.प्र.) का निवासी है। जुडिदेश आचारक्षेत्र में मेरा नाम विजय कुमार पुत्र बलिकनर हो गया है जो पूर्व में रैन बसेरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे।

आदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान मोहर दुर्घटनादावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला—बस्ती वाद सं०—229 / 2022

कुं अनु मिश्रा बनम
1. अनुबुद्ध प्रसाद सरोज पुत्र सुचो शम्भू प्रसाद संतोष निवासी ग्राम भगवानपुर धाना वारीबारी जिला—गोरखपुर हालत मुकाम थाना परसरामपुर पोस्ट परसरामपुर जिला—बस्ती उडको (पंजीकृत वाहन सं०—UP51 AA 9048) 2. अनुबुद्ध प्रसाद सरोज पुत्र सुचो शम्भू प्रसाद संतोष निवासी ग्राम भगवानपुर धाना वारीबारी जिला—गोरखपुर हालत मुकाम थाना परसरामपुर पोस्ट परसरामपुर जिला—बस्ती उडको (पंजीकृत वाहन सं०—UP51 AA 9048)

तारीख पेशी 25—04—2025
हराहा नै आपकें नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपकें 25 माह 04 सन 2025 ई० बवकल 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हावत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ख हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दायी कीजिये और हराहा वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदर है वास्ते इन्फिसाल कतर्दी मुकदमा के तजवीबी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमना दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें। आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बेर हजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बस्खल मेर दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
—द० हाकिम

आदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान मोहर दुर्घटनादावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला—बस्ती वाद सं०—450 / 2016

रामचन्द्र (युक्त) आदि बनम
1. शिव कुमार 2. राज कुमार 3. प्रेम कुमार पुत्रगण मोहनलाल साकिनना मौजा सोनीपुर बेरता तथा सिक्करपुर परगना अमोडा तहसील हरिया जिला बस्ती
तारीख पेशी 20—05—2025
हराहा नै आपकें नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपकें 25 माह 04 सन 2025 ई० बवकल 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हावत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ख हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दायी कीजिये और हराहा वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदर है वास्ते इन्फिसाल कतर्दी मुकदमा के तजवीबी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमना दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें। आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बेर हजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बस्खल मेर दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
—द० हाकिम

आदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान मोहर दुर्घटनादावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला—बस्ती वाद सं०—450 / 2016

रामचन्द्र (युक्त) आदि बनम
1. शिव कुमार 2. राज कुमार 3. प्रेम कुमार पुत्रगण मोहनलाल साकिनना मौजा सोनीपुर बेरता तथा सिक्करपुर परगना अमोडा तहसील हरिया जिला बस्ती
तारीख पेशी 20—05—2025
हराहा नै आपकें नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपकें 25 माह 04 सन 2025 ई० बवकल 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हावत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्ख हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दायी कीजिये और हराहा वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकदर है वास्ते इन्फिसाल कतर्दी मुकदमा के तजवीबी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमना दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें। आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बेर हजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बस्खल मेर दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
—द० हाकिम

डीएम ने दिया 48 घंटे के अंदर शमलीला मैदान की जमीन से कब्जा हटाने का निर्देश

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। बांसी करीब में स्थित शमलीला मैदान जमीन दावा का डीएम डा. राजा गणपति आए, एमपी डा. अभिरक्ष महाजन,अपर जिलाधिकारी गौर श्रीवास्तव ने मौका मुआयना कर अर्ध कब्जे वाली भूमि को 48 घंटे के अंदर खाली करने का निर्देश दिया। कब्जाधारकों ने शमिवासे से कब्जा हटाने का आश्वासन दिया है।

रामलीला जमीन दावा नगर पालिका परिषद बांसी की सार्वजनिक प्रपोजन की सुनिश्चित भूमि है। इस मामले में अधिकारियों ने शमलीला कालीयाम में नगर पालिका अध्यक्ष चमनआर के साथ आई नोटिस जारी पत्राचार की महिलाओं ने निवेदन किया कि उनका पत्राचार बांसी से निवारक कर रहा है। कुछ ने कहा कि उनका काली पुराना बेगमा है। महिलाओं ने कहा कि वह वधू हो जाएंगी, उनके बाहर का हिस्सा ले लिया जाए तो घंटे के अंदर का हिस्सा छोड़ दिया जाए। डीएम ने सभी दलों को अनुसूचक कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी के पास कोई पैर पेश हो तो दीर्घ अन्वेषण कब्जे वाली भूमि को खाली कर देंगी। इसके बाद अधिकारी की पुत्री टीन शमलीला मैदान जमीन दावा पर पहुंची और मौका मुआयना करके कब्जे को हटाने को कहा है।

डीएम ने सैनिक बंदू बैटक में सुनी सैनिकों की समस्याएं
संवाददाता—सिद्धार्थनगर।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला सैनिक प्रशासन एवं पुनर्वास कार्यालय और आजाद से आयोजित सैन्य स्थानिक बंदू बैटक की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। इसमें भूमि विवाद, पुलिस सहकारिता, बैंक ऋण, पैसा संबंधी मामले, चिकित्सा और आर्थिक सहायता से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान वरिष्ठ कर्माधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला सेवारत अधिकारी, नगर पालिका परिषद के अधिकारी अधिकारी और उपायुक्त उद्योग